उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
संख्या– /xxxi(15)G/2023/06(सा0)/2022
देहरादूनः दिनांक 04 मई, 2023

सूचना आयोग
संख्या 2598
15 MAY 2023

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

महोदय/महोदया,

कृपया उत्तराखण्ड सूचना आयोग के पत्र संख्या 11137/उ0सू0आ0/2022–23 दिनांक 15.02.2023 (छाया प्रति सलंग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 (1) के परिप्रेक्ष्य में धारा 19 (1) के आलोक में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में योजित द्वितीय अपील संख्या 917/2008 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2008 के पैरा 6.6 में जीवन और स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रथम अपील के निस्तारण हेतु निम्नवत् निर्देशित किया गया है।

" यदि कोई आवेदक, जिसने अपने प्रार्थना पत्र में सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित होने का तथ्य स्पष्ट किया है और उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा 48 घंटे में सूचनायें उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं, या नियम विरूद्ध शुल्क मांगा जाता है और इस निर्णय के विरूद्ध वह विभागीय अपीलीय अधिकारी को धारा 19 (1) के अन्तर्गत अपील करता है तो इस बिंदु पर इसका निस्तारण अत्यधिक शीघ्रता से, जहां तक सम्भव हो 48 घंटे के भीतर किया जायेगा। यदि अपीलीय अधिकारी को लगता है कि सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित है तो वह लोक सूचना अधिकारी को तुरन्त आदेश देकर सूचनायें दिलाना सुनिश्चित करेगा, अगर विभागीय अपीलीय अधिकारी का निष्कर्ष है कि सूचनायें जीवन या स्वतंत्रता से सम्बन्धित नहीं है, तो वह अपने निष्कर्ष कारणों सहित आवेदक/अपीलार्थी को सूचित करेगा"

2– अतः कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जीवन और स्वतंत्रता से सम्बन्धित धारा 7(1) के परिप्रेक्ष्य में धारा 19 (1) के अधीन की गयी प्रथम विभागीय अपील का समयबद्ध निस्तारण मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुरूप प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु अधीनस्थ विभागों/निदेशालयों/निगमों आदि के विभागीय अपीलीय अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

**संलग्नः यथोपरि।**

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

**संख्या–704 /xxxi(15)G/2023/06(सा0)/2022 तद्दिनांक ।**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, देहरादून को उनके उक्त पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव

ARO
for n.a.
16/5/23